न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– कल्लू पुत्री झल्लू लोधी ,

निबासी मतवारा , तहसील महरौनी, जिला ललितपुर म0प्र0

2– पार्वती पुत्री झल्लू लोधी , पत्नि भगवानदास लोधी ,

निबासी ग्राम निवार , तहसील बक्स्वाहा, जिला छतरपुर म0प्र0

3– निदरा पुत्री झल्लू लोधी , पतिन जाहर सिंह ,

निबासी ग्राम निवार , तहसील बक्स्वाहा, जिला छतरपुर म0प्र0

4– रामा पुत्री झल्लू लोधी , पत्नि खिलान सिंह (फौत), वारिसान

अ– मंगल तनय खिलान सिंह, ब – मनोहर तनय खिलान सिंह,

स– भूरी पत्नि खिलान सिंह, द– शांति पुत्री खिलान सिंह,

निबासी ग्राम कारीटौन , तहसील महरौनी, जिला ललितपुर

वनाम .....आवेदकगण

1– धनसीग तनय बारेलाल लोधी ,

निबासी ग्राम बम्हौरी खुर्द, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर

2– काशीराम तनय झल्लू लोधी , 3– मुलायम तनय झल्लू लोधी ,

4– गोवर्धन तनय झल्लू लोधी ,

निबासी ग्राम बमनौरा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3184 /I/2016 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **कल्लू व अन्य वनाम धनसीग अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-1-17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ामलहरा, जिला छतरपुर द्वारा प्र0क0 09/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22/08/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदिकागण की ओर से बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनपत्र में लेख किये गये हैं। अनावेदकगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचनापत्र जारी किये गये। 2– आवेकदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि अपीलार्थीगण की मां श्रीमति सुबदी के नाम से ग्राम बम्होरी कलॉ एवं ग्राम बम्होरी खुर्द, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उपरोक्त भूमि मॉ सुबदी को वारिसान हक में अपने पिता गनेश लोधी से उनके मरने के बाद बर्ष 1990–91 में नामांतरण पंजी कमांक 01 आ0 दि0 13/06/1991 के आधार पर प्राप्त हुई थी। सुबदी का बिबाह झल्लू नामक ब्यक्ति के साथ हो गया था, आवेदिकागण सुबदी एवं झल्लू की संताने हैं। सुबदी की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त भूमि का नामांतरण विधि विरूद्व तरीके से ग्राम पंचायत बम्होरी के प्रस्ताव कमांक 10, दिनांक 27/10/1012 के आधार पर हो गया था। जिसकी एक अपील रिस्पॉडेंट कमांक चार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा के समक्ष करने पर उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/09/2015 के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 10 के आधार पर की गई कार्यवाही/नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया, तथा उत्तरवादी को निर्देशित किया कि यदि उसके पास कोई बसीयत है तो वह तहसीलदार के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश (2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 3184 /I/2016	पक्षकारों व अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

करे। जिसके आधार पर तहसीलदार के समक्ष सुबदी द्वारा लेख बसीयतनामा दिनांक 25/01/2010 के आधार पर नामांतरण वावद रिस्पॉडेंट कमांक एक द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसके द्वारा आवेदकगण को हितबद्व होते हुये भी जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा कथित बसीयतनामा के आधार पर उसके नाम से वादभूमि दर्ज कराने का आदेश पारित करवा लिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदकगण की ओर से तहसीलदार के प्रश्नाधीन प्रकरण के संपूर्ण प्रकरण की प्रामणित प्रतिलिपि, विवादित बसीयतनामा तथा वाद भूमि के खसरा पांच साला तथा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई है। जिनसे यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई कि पूर्व में वाद भूमि अकेले गनेश तनय दौलत लोधी निवासी ग्राम बम्होरी खुर्द के नाम से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थीं , गनेश लोधी के मरने के बाद बर्ष 1990—91 में नामांतरण पंजी कमांक 01 आ0 दि0 13/06/1991 के आधार पर वाद भूमि उसकी एकमात्र पुत्री सुबदी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज रही। सुबदी के मरने के बाद प्रतिअपीलार्थी कमांक 04 गोवर्धन द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहारा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम पंचायत बम्होरी खुर्द के प्रस्ताव 10 दिनांक 27/01/2012 के आधार पर रिस्पॉ0 कमांक एक गोवर्धन द्वारा सुवदी के नाम की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अपना नाम 1/2 हक में जुड़वा लिया है, जिसे निरस्त करके वारिसान हक में सुबदी के स्थान पर नामांतरण किया जाबे। अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा द्वारा उपरोक्त अपील प्र0क0 131/अपील/2013—14 पर पंजीबद्व करके पारित आदेश दिनांक 14/09/2015 के आधार पर स्वीकार करके रिस्पॉडेंट कमांक एक का नाम वादभूमि से पृथक करके मृतक सुबदी के सभी पुत्र पुत्रियों के नामांतरण का आदेश पारित कर दिया। इसी के साथ यह भी सुविधा प्रदान की कि यदि उत्तरवादी कमांक एक के पास बसीयत है तो वह नियमानुसार तहसीलदार के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत करे। जिसके आधार पर अनावेदक कमांक एक द्वारा एक आवेदनपत्र प्रभारी तहसीलदार घुवारा के समक्ष वादभूमि के 1/2 हिस्सा का नामांतरण बसीयतनामा के आधार पर करने का प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदिकागण को पक्षकार न बनाकर मात्र अनावेदक कमांक दो से चार को ही पक्षकार बनाया गया। जिसके उपरांत अनावेदक कमांक दो से चार अधिनस्थ न्यायलाय में उपस्थित हुये, तथा दिनांक 16/03/2016 को आवेदक के साक्षी जगना एवं छंदू के शपथपत्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश (3) निगरानी प्रकरण क्रमांक 3184 /I/2016	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रस्तुत किये गये, जबकि उस दिनांक को पीठासीन अधिकारी सी0 एम0 कार्यकम में ब्यस्त थे, पेशी बड़ा दी गई। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा आवेदक के साक्षियों का शपथपत्र के उपरांत प्रतिपरीक्षण आदि कराये बगैर तथा बसीयतनामा आदि प्रदर्श कराये बगैर ही दिनांक 11/05/2016 को आवेदक साक्ष्य समाप्त कर दी, जिसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/06/2016 के पालन में प्रकरण तहसीलदार बड़ामलहारा के न्यायालय में अंतरित किया गया। जिसके उपरांत तहसीलदार बड़ामलहरा द्वारा भी प्रकरण में अनावेदक साक्ष्य आदि लिये बगैर ही प्रकरण दिनांक 27/07/2016 से दिनांक 06/08/2016 को नियत करके बगैर तर्क श्रवण किये ही बगैर आगे आदेश पत्रिका लिखे ही दिनांक 22/08/2016 को अंतिम आदेश पारित कर दिया। जबकि अनावेदक कमांक दो से चार के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह तथ्य उठाया गया था कि "सुबदी के सभी हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, उपस्थित वारिसों को भी साक्ष्य एवं सुनवार्द का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्रस्ताव घनसींगा के नाम 1/2 भूमि दर्ज होने का पारित हुआ, उसकों अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है।" जिसकी पुष्टि प्रश्नाधीन आदेश के पृष्ठ 03 के पैरा कमांक 02 से होती है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुवदी के सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर क्यों प्रदान नहीं किया स्पष्ट नहीं है। बसीयतनामा के जो साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं, उनके द्वारा बसीयतनामा को प्रदर्श करके प्रमाणित नहीं किया गया ना ही बसीयतकर्ता का अंगूठा प्रमाणित कराया गया है, ना ही साक्षियों के हस्ताक्षर प्रमाणित कराये गये हैं। जिससे बसीयतनामा प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में दिये गये प्रवधानों का पालन नहीं किया गया है, ना ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 से 68 के तहत बसीयत को प्रमाणित कराया गया है, जिससे उपरोक्त बसीयत प्रथम दृष्टया ही ग्राहय योग्य नहीं थी। बसीयत का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि बसीयतनामा पर बसीयत लेखक की ना तो कलम है ना ही बसीयत लेखक के हस्ताक्षर हैं, जिससे भी बसीयत अपूर्ण है। उपरोक्त बसीयत दिनांक 25/01/2010 को लेख की गई है , जिसमें सुबदी की 1/2 हक में भूमि बताई गई है, जबकि आवेदिकागण की ओर से जो वादभूमि के खसरा पांच साला बर्ष 2010 के प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें भूमि अकेले सुबदी के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। पटवारी द्वारा जो प्रतिवेदन एवं पंचनामा बसीयत तथा कब्जा के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं, उन सभी पर ग्राम बम्होरी के लोगों के हस्ताक्षर,	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश (4) निगरानी प्रकरण क्रमांक 3184/I/2016	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अंगूठा हैं, जहां रिस्पॉडेंट कमांक एक निबास करता है। अतः उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। तहसीलदार द्वारा भी बसीयत के आधार पर 1/2 हक की भूमि पर अनावेदक कमांक एक धनसींग का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो कि विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है। वादभूमि सुबदी को पिता गनेशा से वारिसान प्राप्त हुई थी, जिसकी वह एकमेव मालिक थी, रिस्पाडेंट एक का उस पर 1/2 हक था ही नहीं। जिस पर आवेदिकागण का जन्म से हक था। यदि सुबदी द्वारा वसीयतनामा लेख भी किया जाना था, तो वह अपने सभी बारिसों को हिस्सा प्रदान करके ही अपने 1/8 हक हिस्सा की ही बसीयत लेख कर सकती थी, उससे अधिक नहीं। उपरोक्त बसीयत ना तो उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की शर्तों को पूरा करती है, ना ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 से 68 के अनुसार विधिवत रूप से प्रमाणित है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, तहसीलदार बड़ामलहरा द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22/08/2016 निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की संपूर्ण वादभूमि पर सुबदी के स्थान पर उसके सभी वारिसों के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करें। उभयपक्ष सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य